

संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017

Posted On: 07 SEP 2017 4:42PM by PIB Delhi

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 13 अगस्त, 2017 को आयोजित सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है:-

इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारों इनके हर प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यधीन अनंतिम है। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के समय अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय, शारीरिक अक्षमता (जिन भी मामलों में लागू हो) आदि के अपने दावे के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अत:, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने प्रमाण-पत्र तैयार रखें और व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होने से पहले, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण अनुदेशों के अनुसार अपने प्रमाण-पत्रों की जांच कर लें।

परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों से यह अपेक्षित है कि वे आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) को भरें। यह विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) को भरें। यह विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 14.09.2017 से दिनांक 26.09.2017 तक शाम 6.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने और उसे आयोग में ऑनलाइन जमा करने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पहले वेबसाइट के संगत पृष्ठ पर अपने को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद ही वे अपनी अर्हता के समर्थन में तथा आरक्षण आदि के दावे के अनुसार संगत प्रमाण-पत्रों/दस्तारवेजों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ अपने विस्तृत आवेदन को ऑनलाइन जमा करेंगे। अर्हक उम्मीदवारों को दिनांक 26.04.2017 के भारत के ई-राजपत्र में प्रकाशित सम्मिलत चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017 की नियमावली का अवलोकन करने का भी परामर्श दिया जाता है।

उम्मीदवार, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017 की नियमावली के साथ-साथ वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से संबंधित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार अपनी आयु, जन्म, तिथि, शैक्षिक योग्यता, जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) तथा शारीरिक विकलांगता की स्थिति के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण (विकलांग उम्मीदवारों के मामले में) प्रस्तुत नहीं कर पाने के लिए स्वय उत्तरदायी होंगे। लिखित परीक्षा में अर्हक हुआ कोई उम्मीदवार, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017 हेतु अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में यदि कोई एक अथवा सभी मूल दस्तावेज लाने में विफल रहता है तो उसे व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे यात्रा भत्ते (टीए) का भुगतान नहीं किया जाएगा।

व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के साक्षात्कार अक्तूबर, 2017 से आयोजित किए जाने की उम्मीद है। तथापि, साक्षात्कार की सही तारीख की सूचना उम्मीदवारों को ई-समन पत्र के माध्यम से प्रदान की जाएगी। साक्षात्कार का कार्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट (http://www.upsc.gov.in) भी देखते रहें।

उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु सूचित की गई तारीख और समय में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त नहीं की है, उनके अंक-पत्र, अंतिम परिणाम के प्रकाशन के बाद (व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बाद) आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और ये अंक-पत्र वेबसाइट पर 60 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।

उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक और जन्म की तारीख अंकित करने के बाद अंक-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों को अंक-पत्र की मुद्रित प्रतियां, उम्मीदवारों से डाक टिकट लगे स्व-पता लिखे लिफाफे सिहत उनके द्वारा विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर ही भेजी जाएंगी। अंक-पत्रों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसा अनुरोध आयोग की वेबसाइट पर अंक-पत्रों के प्रदर्शित किए जाने के 30 दिन के अंदर करना चाहिए; इसके बाद ऐसे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. (011)-23385271/23381125/23098543 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन परिसर में मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं।

रिपोर्ट के बारे में जानकारी के लिए यहां क्रिक करें

वीएल/प्रवीन/वाईबी - 3688

(Release ID: 1502064) Visitor Counter: 10









